



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी/ /2/2012

1. श्री डेवलपर्स द्वारा भागीदारगण श्री अजयतिवारी
पिता श्री रविशंकर तिवारी
2. श्री श्याम चौदहा पिता श्री बी०पी चौदहा कार्यालय
2362, राइट टाउन जबलपुर म०प्र०
3. मैसर्स जे०एम०प्रोजेक्टर्स द्वारा नितिन तिवारी पुत्र
स्व० जे०एम०तिवारी कार्यालय ०1 कुमार कॉम्प्लेक्स
गोरखपुर जबलपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विनोद कुमार सोनकर पिता स्व०श्री बडकू भैया
सोनकर निवासी 226, भरतीपुर, जबलपुर म०प्र०
2. पंकज चंदेल पुत्र श्री एन०एस०चंदेल निवासी
1450/8 अ गंगानगर कॉलोनी जबलपुर म०प्र०
3. म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला
जबलपुर म०प्र०

.....प्रतिप्रार्थीगण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत माननीय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 20/बी-103/धारा 48 (ख) 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2012 के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों का पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि, ग्राम सगडा पटवारी हल्का नम्बर 28/33 खेत नं.184/1 रकवा 0.947हे० खेत नं० 218/1 रकवा 0.012, सर्वे क्रमांक 219/1 रकवा 0.0235, सर्वे क्रमांक 219/2 रकवा 0.012, सर्वे क्रमांक 220/2 रकवा 0.239, सर्वे क्रमांक 220/3 रकवा 0.012 हे० सर्वे क्रमांक 220/13 रकवा 0.0146, सर्वे क्रमांक 222/1 रकवा 0.360, सर्वे क्रमांक 222/2 रकवा 0.032, सर्वे क्रमांक 223 रकवा 0.084, सर्वे क्रमांक 224 रकवा 0.073, सर्वे क्रमांक 225 रकवा 0.040, सर्वे क्रमांक 226 रकवा 0.161, सर्वे क्रमांक 227रकवा 0.121, सर्वे क्रमांक 228 रकवा 0.053, सर्वे क्रमांक 229 रकवा 0.142, सर्वे क्रमांक 230 रकवा 0.240, सर्वे क्रमांक 231/1 रकवा 0.020, सर्वे क्रमांक 231/2 रकवा 0.020 सर्वे क्रमांक 232/1 रकवा 0.56, सर्वे क्रमांक 232/2 रकवा 0.016, सर्वे क्रमांक 232/3 रकवा 0.073, सर्वे क्रमांक 232/4 रकवा 0.004, सर्वे क्रमांक 233 रकवा 0.040 सर्वे क्रमांक 234/1 रकवा 0.134, सर्वे क्रमांक 234/1 रकवा 0.081, सर्वे क्रमांक 235/1 रकवा 0.049, सर्वे क्रमांक 235/2 रकवा 0.012, सर्वे क्रमांक 236/1 रकवा 0.279, सर्वे क्रमांक

25.05.12

R 1538 I/12

28/4/12

R 1538.5112 ਅਭਿਯੰਤਰ

54-18

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ
 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
 ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ
 ਕਮੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ
 ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ
 ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ
 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ
 ਪ੍ਰਭਾਵ

Net
 574

3

7N